



न्यायालय सिविल जज (कनिष्ठ श्रेणी), कौशाम्बी ।

उपस्थित- अभिषेक गुप्ता (उ०प्र० न्यायिक सेवा)

मूल वाद संख्या :- 538 / 2022

सी.एन.आर. सं० UPKS060015672022

किन्नर मुस्कान सिंह चौहान पुत्र संतोष सिंह चौहान चेला किन्नर अब्दुल हमीद टिड्डी निवासी- 423 बी मोहत्सिमगंज, इलाहाबाद, वर्तमान पता मौलाना आजाद नगर, वार्ड नं० 8 पुरानी बाजार भरवारी, जनपद कौशाम्बी ।

.....वादी

बनाम

किन्नर पूर्वी रामलखन यादव पुत्र रामलखन यादव निवासी 112399 प्रथम तल खजुरावाडी मिर्जा स्वामी रोड सूरत । वर्तमान पता- मौलाना आजाद नगर, वार्ड नं० 8 पुरानी बाजार भरवारी, जनपद कौशाम्बी ।

..... प्रतिवादी

-:निर्णय:-

1. वादी द्वारा प्रस्तुत वाद संख्या 538 / 2022 प्रतिवादी के विरुद्ध घोषणात्मक वाद योजित किया गया है ।
2. वाद पत्र में किये गये अभिकथन संक्षेपतः इस प्रकार है कि वादी एक किन्नर (TRANSGENDER) है । वादी का कार्य लोगों के यहाँ बधावा बजाना, सन्तानोत्पत्ति पर लोगो के घर जाकर नाच गाना आशीर्वाद देने का परम्परागत कार्य करते, इसी कार्य में वादी लगा हुआ है । वादी के गुरु किन्नर अब्दुल हमीद उर्फ टिड्डी गुरु पुत्र अब्दुल वहीद निवासी 423 बी मोहत्सिमगंज, इलाहाबाद हाल निवास स्थान मौलाना आजाद नगर, वार्ड नं० 8 पुरानी बाजार भरवारी, जनपद कौशाम्बी रहे है, जिनका कार्य क्षेत्र (यजमानी) थाना घूमनगंज क्षेत्र प्रयागराज से लेकर जनपद कौशाम्बी स्थित समस्त थानो के अन्तर्गत आने वाले ग्राम सभा एवं नगर पंचायत एवं नगर पालिका परिषद की यजमानी का मालिकाना हक व अधिकार उन्हें प्राप्त था । वादी अपने गुरु के साथ में उनके संरक्षण में उपरोक्त यजमानी स्थानों पर घूम-घूम कर अपने मण्डी के साथ कार्य करता रहा है । वादी के गुरु जब कार्य कर पाने में अक्षम हो गये तो घर पर बैठ कर वादी को निर्देशित करके और मार्ग बताकर कार्य करवाने लगे । वादी अपने उक्त गुरु के साथ 12 वर्ष की उम्र से ही रह कर उनकी चेलागीरी करता था । इस लिए वादी को गुरु अपने पुत्र के समान मानते थे और पुत्रवत संरक्षण प्रदान किया । वादी अपने गुरु के शारीरिक रूप से अक्षम हो जाने और कार्य न कर पाने की स्थिति में भरवारी स्थित निवास स्थान व प्रयागराज स्थित निवास स्थान पर उन्हें रखकर उनकी सेवा सुश्रुष

करने लगा । जिससे प्रसन्न हो करके दिनांक 09.04.2019 को गुरु अब्दुल हमीद उर्फ टिड्डी गुरु ने वादी को धूमनगंज थाना क्षेत्र प्रयागराज से लेकर कौशाम्बी जनपद स्थित समस्त थानो, ग्राम सभा, नगर पंचायत एवं नगरपालिका परिषद की यजमानी का अपने मृत्यु के पश्चात उत्तराधिकारी घोषित किया तथा उक्त वसीयतनामे का विधिवत लिखा पढी हुई और जिसका पंजीकरण उपनिबन्धक सिराथू जनपद कौशाम्बी के कार्यालय में जिल्द सं० 56 के पृष्ठ संख्या 145 से 180 तक क्रमांक 55 पर दिनांक 09.04.2019 को पंजीकृत किया गया । अत्यधिक वृद्धावस्था के कारण वादी के गुरु अब्दुल हमीद उर्फ टिड्डी गुरु की मृत्यु दिनांक 02.01.2021 को हो गयी । जिनका किन्नर रीति रिवाज के अनुसार मरणोपरान्त किया कर्म वादी द्वारा किया गया । वादी के गुरु के मृत्यु के पश्चात उनके द्वारा निष्पादित वसीयतनामें के आधार पर वादी थाना धूमनगंज प्रयागराज से लेकर जनपद कौशाम्बी के समस्त थाना क्षेत्रों में स्थित ग्रामो नगर पंचायतों व नगर पालिका परिषद में गुरु के स्थान पर स्वतंत्र रूप से कार्य करने का अधिकार प्राप्त हो गया । गुरु की इच्छा और वसीयतनामे के अनुरूप समाज में परम्परा के अनुसार वादी को गुरु का उत्तराधिकारी मानते हुए परम्परागत तरीके से सामाजिक स्वीकृत प्रदान कर रखी है । गुरु के मृत्योपरान्त वादी ने ऊपर वर्णित कार्य क्षेत्र में अपने अन्य सहयोगी किन्नरों के साथ शादी, जन्म उत्सव, आदि पर बुलाये जाने और स्वयं जानकारी पर स्वेच्छा से पहुँच कर नृत्य गायन, वादन आशीर्वाद वचन का कार्य संपादित करने लगा । दिनांक 18.02.2022 को प्रतिवादी व उसके सभी साथियों ने भरवारी नगर पालिका क्षेत्र में एक जन्मोत्सव कार्यक्रम में पहुँच कर वादी को कार्य करने से रोका और ऐसा ने कहा कि "यह पूरा इलाका मेरा है मैं यहाँ पर तुम्हे कार्य नहीं करने दूंगा, भाग जाओ वरना जान से हाथ धो बैठोगे । वादी के गुरु अब्दुल हमीद उर्फ टिड्डी गुरु द्वारा पंजीकृत वसीयत जो उपनिबन्धक सिराथू, कौशाम्बी में जिल्द सं० 56 पृष्ठ सं० 145, से 160 तक क्रमांक 55 पर दिनांक 09.04.2019 को पंजीकृत है में दिये गये अधिकार के आधार पर वादी को गुरु अब्दुल हमीद उर्फ टिड्डी गुरु का वारिस उत्तराधिकारी घोषित किया जाये अन्यथा वादी की अपूर्णनीय क्षति होगी ।

3. प्रतिवादी की ओर से लिखित कथन 12 क / 1 से 12 क / 2 प्रस्तुत कर वादपत्र के कुछ तथ्यों को आंशिक रूप से स्वीकार करते हुये शेष तथ्यों से इन्कार किया गया है व संक्षेपतः कथन किया है कि प्रतिवादी के गुरु वादी किन्नर मुस्कान सिंह चौहान यद्यपि किन्नर अब्दुल हमीद उर्फ टिड्डी गुरु पुत्र अब्दुल वहीद निवासी 423 बी मोहत्सिमगंज इलाहाबाद, के एक मात्र शिष्या है तथा अब्दुल हमीद किन्नर उपरोक्त द्वारा किन्नर मुस्कान सिंह के हक में की गयी रजिस्टर्ड वसीयत दिनांक 09.04.2019 के आधार पर किन्नर अब्दुल हमीद की मृत्यु हो जाने के कारण उनके उत्तराधिकारी है, किन्तु प्रतिवादी भी किन्नर मुस्कान का शिष्य है तथा इस बिना पर प्रतिवादी को भी किन्नर अब्दुल हमीद द्वारा वरासत में छोड़े गये कार्य क्षेत्र में स्वतंत्र रूप से गायन वादन करने व दक्षिणा प्राप्त करने का अधिकार है ।

विवाद्यक

4. उभयपक्ष के अभिवचनो के आधार पर दिनांक 13.10.2022 को निम्नलिखित वाद-बिन्दु विरचित किये गये –
1. क्या वादी वाद पत्र में वर्णित आधारों पर उत्तराधिकारी घोषित किये जाने योग्य है ?
 2. क्या दावा वादी का मूल्यांकन कम किया गया है ?
 3. क्या दावा वादी द्वारा प्रदत्त न्यायशुल्क अपर्याप्त है ?
 4. क्या वाद की सुनवाई का क्षेत्राधिकार इस न्यायालय को प्राप्त है ?
 5. क्या दावा वादी कोई अन्य अनुतोष पाने का अधिकारी है ?
5. वादी की ओर से दस्तावेजी साक्ष्य के रूप में कागज संख्या 7 ग / 2 ता 7 ग / 9 वसीयतनामा की सत्य प्रतिलिपि, कागज संख्या 7 ग / 10 मृत्यु प्रमाण की छायाप्रति व कागज संख्या 7 ग / 11 आधार कार्ड की छायाप्रति दाखिल किया गया है ।
6. वादी द्वारा मौखिक साक्ष्य के रूप में पी० डब्लू० 1 मुस्कान सिंह चौहान को परीक्षित कराया गया है ।
7. प्रतिवादी के द्वारा मौखिक साक्ष्य के रूप में डी०डब्लू० 1 में किन्नर पूर्वी राम लखन यादव को परीक्षित कराया गया है ।
8. मैंने वादी एवं प्रतिवादी के विद्वान अधिवक्ता के तर्कों को सुना तथा पत्रावली का अवलोकन किया ।

-:निष्कर्ष:-

निस्तारण वाद बिन्दु संख्या 1:-

वाद बिन्दु संख्या 1 इस आशय के साथ विरचित किया गया है कि वादी वाद पत्र में वर्णित आधारों पर उत्तराधिकारी घोषित किये जाने योग्य है? ?

उक्त वाद बिंदु को साबित किए जाने के अनुक्रम में वादी द्वारा वाद पत्र में यह कथन किया गया है कि वादी का कार्य लोगों के यहाँ बधावा बजाना, सन्तानोत्पत्ति पर लोगो के घर जाकर नाच गाना आशीर्वाद देने का परम्परागत कार्य करते, इसी कार्य में वादी लगा हुआ है । वादी के गुरु किन्नर अब्दुल हमीद उर्फ टिड्डी गुरु जिनका कार्य क्षेत्र (यजमानी) थाना घूमनगंज क्षेत्र प्रयागराज से लेकर जनपद कौशाम्बी स्थित समस्त थानो के अन्तर्गत आने वाले ग्राम सभा एवं नगर पंचायत एवं नगर पालिका परिषद की यजमानी का मालिकाना हक व अधिकार उन्हें प्राप्त था । वादी अपने गुरु के साथ में उनके संरक्षण में उपरोक्त यजमानी स्थानों पर घूम-घूम कर अपने मण्डी के साथ कार्य करता रहा है । वादी अपने गुरु के शारीरिक रूप से अक्षम हो जाने और कार्य न कर पाने की स्थिति में भरवारी स्थित निवास स्थान व प्रयागराज स्थित निवास स्थान पर उन्हें रखकर उनकी सेवा सुश्रुष करने लगा जिससे प्रसन्न हो करके दिनांक 09.04.2019 को

गुरु अब्दुल हमीद उर्फ टिड्डी गुरु ने वादी को धूमनगंज थाना क्षेत्र प्रयागराज से लेकर कौशाम्बी जनपद स्थित समस्त थानो, ग्राम सभा, नगर पंचायत एवं नगरपालिका परिषद की यजमानी का अपने मृत्यु के पश्चात उत्तराधिकारी घोषित किया तथा उक्त वसीयतनामे को विधिवत पंजीकृत किया गया जबकि प्रतिवादी का कथन यह है कि वह भी किन्नर मुस्कान का शिष्य है तथा इस बिना पर प्रतिवादी को भी किन्नर अब्दुल हमीद द्वारा वरासत में छोड़े गये कार्य क्षेत्र में स्वतंत्र रूप से गायन वादन करने व दक्षिणा प्राप्त करने का अधिकार है ।

उक्त के संबंध में विशिष्ट अनुतोष अधिनियम 1963 की धारा 34 उल्लेखनीय है –

“34. प्रास्थिति की या अधिकार की घोषणा के बारे में न्यायालय का विवेकाधिकार –कोई व्यक्ति, जो किसी विधिक हैसियत का या किसी संपत्ति के बारे में किसी अधिकार का हकदार हो, ऐसे किसी व्यक्ति के विरुद्ध, जो ऐसी हैसियत का या ऐसे अधिकार के हवा का प्रत्याख्यान करता हो या प्रत्याख्यान करने में हितबद्ध हो, बाद संस्थित कर सकेगा और न्यायालय स्वविवेक में उस बाद में यह घोषणा कर सकेगा कि वह ऐसा हकदार है और बादी के लिए यह आवश्यक नहीं है कि वह उस बाद में किसी अतिरिक्त अनुतोष की मांग करें ।

परन्तु कोई भी न्यायालय यहां ऐसी घोषणा नहीं करेगा जहां कि बादी हक की घोषणा मात्र के अतिरिक्त कोई अनुतोष मांगने के योग्य होते हुए भी वैसा करने में लोप करें ।”

उक्त प्रावधान के संबंध में यह उल्लेखनीय है कि धारा 34 के अंतर्गत घोषणा के बावत निम्नलिखित शर्तों का पूरा होना आवश्यक है –

1. वाद योजित करते समय वादी का कोई भी विधिक चरित्र (legal Character) या किसी संपत्ति पर कोई अधिकार होना हो ।
2. प्रतिवादी के द्वारा उक्त विधिक चरित्र या अधिकार अस्वीकार किया गया हो।
3. वादी द्वारा जिस घोषणा किये याचना की गई है वह उसका विधितः हकदार हो ।
4. वादी द्वारा समस्त अनुतोषों की याचना एक ही वाद में की गई हों ।

उक्त के संबंध में यह उल्लेखनीय है कि यहाँ पर विधिक चरित्र से तात्पर्य है ऐसा पद जिसे विधि द्वारा मान्यता प्राप्त हो । अतः विधिक चरित्र ऐसा होना चाहिए जिसे कानून द्वारा मान्यता प्राप्त हो न किसी किसी अनुबंध द्वारा । यदि वादी अपने विधिक चरित्र या अधिकार को सिद्ध कर देता है तभी उसके पक्ष में घोषणा की जा सकती है ।

जहां तक प्रस्तुत वाद में वादी के विधिक चरित्र या अधिकार का प्रश्न है इस संबंध में वादी द्वारा कागज संख्या 7 ग / 2 ता 7 ग / 9 एक पंजीकृत वसीयतनामा प्रस्तुत किया गया है जिसके अवलोकन से यह प्रकट होता है कि वसीयतकर्ता अब्दुल

हमीद टिड्डी गुरु किन्नर पुत्र अब्दुल वहीद द्वारा मुस्कान सिंह चौहान / वादी के पक्ष में एक पंजीकृत वसीयतनामा दिनांकित 09.04.2019 निष्पादित किया गया है जिसमे यह उल्लेख किया गया है कि –

“ मैं एक किन्नर समाज का हूँ । मैं अपने गुरु मीरा किन्नर उर्फ लतीफ़ किन्नर द्वारा प्राप्त यजमानी धूमनगंज प्रयागराज से लेकर जनपद कौशाम्बी स्थित समस्त स्थानों के अंतर्गत आने वाले ग्रामसभा एवं नगर पंचायत एवं नगर पालिका परिषद की यजमानी का मालकाना हक अधिकार मुझे प्राप्त है । यजमानी का कार्य मेरे ही देख रेख में इन स्थानों में सुचारु रूप से संचालित हो रहा है जिसे मेरे गुरु मीरा किन्नर उर्फ लतीफ़ किन्नर द्वारा यजमानी प्रदान की गई थी । जिसका अब तक मैं माकूल निर्वहन करता चला आ रहा हूँ । चूंकि मैं ऐसी अवस्था से गुजर रहा हूँ उम्र काफी हो चुकी है, जीवन का कोई ठिकाना नहीं कण कहाँ मेरे जीवन का अंत हो जाये । शरीर कमजोर हो चुका है व चलने-फिरने से भी लाचार हो गया हूँ चूंकि मेरे अन्य कई चेले है परंतु चेला मुस्कान सिंह चौहान पुत्र संतोष सिंह चौहान चेला अब्दुल हमीद टिड्डी गुरु किन्नर मेरा बहुत ही खास चेला है जो कि ऐसी अवस्था में मेरी सेवा देखभाल कर रहा है व खाने पीने दवा इलाज आदि का समुचित प्रबंध करता है सुख दुःख का मेरे पूर्ण ध्यान रखता है मैं उसकी सेवाओं से बहुत खुश व प्रसन्न हूँ और विश्वास है कि मेरे शेष जीवनकाल तक इसी प्रकार मुस्कान सिंह चौहान मेरा चेला मेरी सेवा देखभाल इसी प्रकार से करता रहेगा । मैं चाहता हूँ कि मेरे मरने के बाद मेरी यजमानी को लेकर मेरे चेलों में किसी प्रकार का विवाद / मतभेद न पैदा हो इसलिए खूब सोच विचार करके बिना किसी डराये धमकाये अपनी पूर्ण रजामंदी की दशा में अपनी संपत्ति चल व अचल व यजमानी वृत्त के बावत निम्नलिखित वसीयत निष्पादित करता हूँ कि जब तक मैं जीवित रहूँगा तब तक अपनी संपत्ति चल व अचल व यजमानी वृत्त किन्नर का मालिक स्वामी रहूँगा । मेरे मरने के बाद मेरी संपत्ति चल व अचल व यजमानी वृत्त थाना धूमनगंज प्रयागराज से लेकर जनपद कौशाम्बी स्थित समस्त थाना के अंतर्गत आने वाले ग्राम सभा एवं नगर पालिका परिषद नगर पंचायत की किन्नर यजमानी का मालिक स्वामी मेरा चेला मुस्कान सिंह पुत्र संतोष सिंह चौहान चेला अब्दुल हमीद टिड्डी गुरु किन्नर नि0 423 बी मोहित्सम गंज, इलाहाबाद / प्रयागराज हा0 मु0 मौलाना आजाद नगर वार्ड नं0 8 पुरानी बाजार भरवारी, जनपद कौशाम्बी होगा । उसे मेरे मरणोत्तर अधिकार होगा कि वह यजमानी का कार्य करें ।

मेरे मरने के बाद यदि अन्य किसी किन्नर या मेरे अन्य किन्नर चले मेरी उक्त
यजमानी या मेरी संपत्ति के बाबत कोई दावा पेश करें तो उनका दावा मेरी
इस वसीयतनामा के मुकाबले फर्जी बेबुनियाद व निराधार होगा ।”

उपरोक्त वसीयतनामे के अवलोकन से यह स्पष्ट होता है कि वसीयतकर्ता
अब्दुल हमीद टिड्डी गुरु किन्नर द्वारा वादी के पक्ष में वसीयतनामा निष्पादित किया
गया है जिसमें वसीयतकर्ता ने अपनी संपत्ति चल व अचल व यजमानी वृत्त थाना
धूमनगंज प्रयागराज से लेकर जनपद कौशाम्बी स्थित समस्त थाना के अंतर्गत आने
वाले ग्राम सभा एवं नगर पालिका परिषद नगर पंचायत की किन्नर यजमानी का मालिक
स्वामी वादी को नियुक्त किया है। इस संबंध में यह उल्लेखनीय है कि वसीयतकर्ता द्वारा
यह कथन किया गया है कि उसकी देख-रेख में यजमानी कार्य संचालित हो रहा है एवं
इस अधिकार का उत्तराधिकारी वादी को वसीयत के माध्यम से नियुक्त किया है। किन्तु
वादी के द्वारा ऐसा कोई भी साक्ष्य प्रस्तुत नहीं किया गया है जिससे यह सिद्ध हो सके
की उक्त वसीयतनामा किसी विधिक अधिकार या चरित्र के संबंध में किया गया है।

इसके अतिरिक्त यह तथ्य भी उल्लेखनीय है कि घोषणात्मक वाद वादी को
अपने पक्ष में करने लिए यह भी साबित करना आवश्यक है कि प्रतिवादी के द्वारा वादी
के विधिक अस्तित्व को अस्वीकार किया गया हो। इस अनुक्रम में जवाबदावा में
प्रतिवादी ने यह कथन किया है कि प्रतिवादी के गुरु वादी किन्नर मुस्कान सिंह चौहान
यद्यपि किन्नर अब्दुल हमीद उर्फ टिड्डी गुरु पुत्र अब्दुल वहीद निवासी 423 बी
मोहत्सिम गंज इलाहाबाद, के एक मात्र शिष्या है तथा अब्दुल हमीद किन्नर उपरोक्त
द्वारा किन्नर मुस्कान सिंह के हक में की गयी रजिस्टर्ड वसीयत दिनांक 09.04.2019
के आधार पर किन्नर अब्दुल हमीद की मृत्यु हो जाने के कारण उनके उत्तराधिकारी है,
किन्तु प्रतिवादी भी किन्नर मुस्कान का शिष्य है तथा इस बिना पर प्रतिवादी को भी
किन्नर अब्दुल हमीद द्वारा वरासत में छोड़े गये कार्य क्षेत्र में स्वतंत्र रूप से गायन वादन
करने व दक्षिणा प्राप्त करने का अधिकार है।

इस संबंध में प्रतिवादी ने अपनी प्रति परीक्षा में यह कथन किया है कि –

“ मैं किन्नर जाति की हूँ। मेरा काम लोगों के यहाँ बँधवा बजाना
नाच गाना करना लोगों को आशीर्वाद देना है। हम लोग परंपरागत इसी
कार्य में लगे हैं। वादी के गुरु किन्नर अब्दुल हमीद उर्फ टिड्डी गुरु किन्नर
पुत्र अब्दुल वहीद जिनका कार्यक्षेत्र यजमानी थाना धूमनगंज क्षेत्र
प्रयागराज से लेकर जनपद कौशाम्बी स्थित समस्त थानों के अंतर्गत थाने
वाले ग्रामसभा एवं नगर पंचायत एवं नगर पालिका परिषद की यजमानी
का मालिकाना हक व अधिकार उन्हें प्राप्त था। वादी के गुरु ने दिनांक

09.11.2019 को एक वसीयतनामा पंजीकृत उप निबंधक सिराथू जनपद कौशाम्बी के कार्यालय में जिल्द संख्या 56 पृष्ठ संख्या 145 से 160 तक क्रमांक 55 पर पंजीकृत किया है कि मृत्यु के बाद वादी वसीयतनामा के आधार पर थाना धूमनगंज प्रयागराज से लेकर जनपद कौशाम्बी के समस्त थाना क्षेत्रों में स्थित गाँवों नगर पंचायत व नगर पालिका परिषद में गुरु के स्थान पर वादी को स्वतंत्र रूप से कार्य करने का अधिकार प्राप्त हुआ है । मुझे कोई एतराज नहीं है वादी को जो वसीयत उनके गुरु ने कर दिया है उसकी घोषणात्मक डिक्री कर दिया जाये ।”

अग्रेतर, उक्त तथ्यों के विश्लेषण से यह स्पष्ट है कि प्रतिवादी ने उक्त प्रति परीक्षा में भी इस तथ्य को स्वीकार किया है कि वसीयतनामा यजमानी के बावत वादी के पक्ष में किया गया है । जिससे प्रस्तुत वाद में वाद का हेतुक भी उत्पन्न नहीं हुआ है ।

इस प्रकार उक्त समस्त तथ्यों से विश्लेषण से यह स्पष्ट है कि वसीयतनामे में वर्णित अधिकार कोई विधिक चरित्र या ऐसा अधिकार नहीं है जिसकी घोषणा न्यायालय द्वारा की जा सके । उपरोक्त विश्लेषण से स्पष्ट है कि वादी के पक्ष में वसीयतनामे में वर्णित अधिकारों का विधिक अधिकार न होने के कारण इसकी घोषणा नहीं की जा सकती । अतः वाद बिंदु संख्या 1 वादी के विरुद्ध नकारात्मक रूप से निर्णीत किया जाता है ।

निस्तारण वाद बिन्दु संख्या 2:-

यह विवाद्यक इस आशय का विरचित किया गया है कि क्या दावा वादी का मूल्यांकन कम किया गया है ?

वाद बिन्दु संख्या 2 का निस्तारण न्यायालय द्वारा मूल वाद में दिनांक 05.11.2022 को किया जा चुका है जो इस निर्णय का अंश होगा ।

निस्तारण वाद बिन्दु संख्या 3:-

यह विवाद्यक इस आशय का विरचित किया गया है कि क्या दावा वादी द्वारा प्रदत्त न्यायशुल्क अपर्याप्त है ?

वाद बिन्दु संख्या 3 का निस्तारण न्यायालय द्वारा मूल वाद में दिनांक 05.11.2022 को किया जा चुका है जो इस निर्णय का अंश होगा ।

निस्तारण वाद बिन्दु संख्या 4:-

यह विवाद्यक इस आशय का विरचित किया गया है कि क्या वाद की सुनवाई का क्षेत्राधिकार इस न्यायालय को प्राप्त है ?

यह वाद बिंदु प्रतिवादी के अभिकथनों के आधार पर निर्मित है जिसको सिद्ध करने का भार प्रतिवादी पर है। इस बाद बिंदु पर प्रतिवादी द्वारा कोई बल नहीं दिया गया है। तदनुसार यह वाद बिंदु प्रतिवादी के विरुद्ध नकारात्मक रूप से निर्णीत किया जाता है।

निस्तारण वाद बिन्दु संख्या 5:-

यह विवाद्यक इस आशय का विरचित किया गया है क्या दावा वादी कोई अन्य अनुतोष पाने का अधिकारी है ?

प्रस्तुत दावा में द्वारा याचित अनुतोष यह है कि जरिये घोषणात्मक डिक्री पारित वारिस उत्तराधिकारी घोषित किया जाये। इस संबंध में उक्त वाद बिन्दु संख्या 1 वादी के वादी के विरुद्ध नकारात्मक रूप से निर्णीत किया जा चुका है। उक्त अनुतोष के अतिरिक्त वादी ने अन्य किसी अनुतोष की ओर न्यायालय का ध्यान आकृष्ट नहीं किया है। तदनुसार यह वाद बिन्दु निस्तारित किया जाता है।

-:आदेश:-

वादी का वाद खारिज किया जाता है। पक्षकार अपना-अपना व्यय स्वयं वहन करेंगे। पत्रावली बाद आवश्यक कार्यवाही नियमानुसार दाखिल दफ्तर हो।

दिनांक 13.12.2022

अभिषेक गुप्ता
न्यायालय सिविल जज (कनिष्ठ श्रेणी)
कौशाम्बी ।

J.O. CODE - UP3254

यह निर्णय मेरे द्वारा आज खुले न्यायालय में हस्ताक्षरित व दिनांकित कर सुनाया गया।

दिनांक 13.12.2022

अभिषेक गुप्ता
न्यायालय सिविल जज (कनिष्ठ श्रेणी)
कौशाम्बी ।

J.O. CODE - UP3254

मूल वाद संख्या : 538 / 2022
किन्नर मुस्कान सिंह चौहान बनाम किन्नर पूर्वी रामलखन
न्यायालय सिविल जज (कनिष्ठ श्रेणी), कौशाम्बी ।